न्यायालय- शिवानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

<u>(आप.प्रक.क.—</u>1254 / 15<u>)</u> (संस्थित दिनांक—15.12.15)

म.प्र.राज्य,	
द्वारा आरक्षी केन्द्र— मौ	
जिला—भिण्ड, म.प्र.	 अभियोजन

// विरूद्ध //

- खलीफा पुत्र सेरली सांई आयु 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 13 मौ तह. गोहद, जिला–भिण्ड।
- 2. बड़े रंगरेज उर्फ जुम्मन पुत्र ईदा खान आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 9 मौ तह. गोहद, जिला—भिण्ड।
- रिव पुत्र ग्याप्रसाद जाटव आयु 25 वर्ष
 निवासी पखोजिया कॉलोनी थाना मौ तह. गोहद, जिला—भिण्ड।

...... अभियुक्तगण।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक 09.05.2018 को घोषित)

- 1. अभियुक्तगण पर भा.दं.सं. की धारा 324 अथवा 324/34 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 07.0814 को रात्रि आठ बजे गल्ला मण्डी मौ में फरियादी रामू को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त रिव ने फरियादी को धारदार आयुक्त कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के आधार पर अभियुक्तगण को दिनांक 09.05.18 को शमनीय अपराध अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग 2 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया। यह निर्णय मात्र धारा 324 अथवा 324 / 34 के संबंध में घोषित किया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 07.0814 को रात्रि के लगभग आठ बजे अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ गाली गलोच की। फरियादी ने कुल्हाड़ी से और शेष अभियुक्तगण ने लाठी से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इसके संबंध में फरियादी द्वारा की गयी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 07.08.14 को थाना मौ के अपराध क. 279/14 धारा 294, 323, 506 भाग 2 भा.दं. सं. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आह्त का मेडिकल परीक्षण

कराया गया। साक्षियों के बताये अनुसार कथन लेख किये गये। अभियुक्त से कुल्हाड़ी जप्त की गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 4. अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत दंडनीय अपराध की विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया।
- 5. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 07.0814 को रात्रि आठ बजे गल्ला मण्डी मौ में फरियादी रामू को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त रिव ने फरियादी को धारदार आयुक्त कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- 6. साक्षी रामू अ.सा.3 का कहना है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण से मुंहवाद और धक्कामुक्की हो गयी थी तथा इसी घटना की उनसे थाने में रिपोर्ट कर दी थी। साक्षी अभियुक्तगण द्वारा उसे कुल्हाड़ी या किसी धारदार आयुध से मारे जाने का कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियुक्त रिव द्वारा उसे कुल्हाड़ी से मारने के सुझाव से इंकार किया है और प्र.पी.2 की रिपोर्ट में उक्त तथ्य न लिखाना व्यक्त किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन अभियोजन के मामले को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।
- 7. घटना के स्वतंत्र साक्षी राजेंद्र राजपूत अ.सा.4 ने भी अभियुक्त और फरियादी के मध्य मात्र वाद—विवाद होना बताया है। शेष अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को भी पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार यद्यपि साक्षी गुलसेर खान अ.सा.2 ने अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूझाव दिये जाने पर इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके समक्ष फरियादी को कुल्हाड़ी से मारा था, किंतु जहां कि स्वयं फरियादी रामू ने ही उसे अभियुक्त रिव द्वारा कुल्हाड़ी से मारना नहीं बताया है, वहां समर्थनकारी साक्षी के आधार पर किसी विश्वसनीय निष्कर्श पर नहीं पहुंचा जा सकता।
- 8. साक्षी डॉ. राहुल सिंह अ.सा.1 ने दिनांक 07.08.14 को आह्त रामू राजपूत का मेडिकल परीक्षण करना और आह्त के पेराइटल ऑक्सीपीटल रीजन में दो फटे हुए घाव एवं दांये हाथ में दर्द की शिकायत होना चोटें परीक्षण के बारह घण्टे के भीतर की होना एवं परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.1 तैयार करना बताया है। उक्त साक्षी के कथनों के आधार पर यदि यह मान भी लिया जाये कि घटना दिनांक को आह्त रामू

के शरीर पर उपरोक्त चोटें विधमान थीं तब भी उनके आधार पर उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा तथा किसी धारदार हथियार के माध्यम से कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

- 9. प्रकरण में उभयपक्ष का लिखित राजीनामा अभिलेख पर है तथा फरियादी एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 07.0814 को रात्रि आठ बजे गल्ला मण्डी मौ में फरियादी रामू को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त रिव ने फरियादी को धारदार आयुक्त कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः अभियुक्त खलीफा पुत्र सेरली साई, बड़े रंगरेज उर्फ जुम्मन पुत्र ईदा खान एवं रिव पुत्र ग्याप्रसाद जाटव को धारा 324 अथवा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 11. प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(शिवानी शर्मा)

न्या0मजि0प्रथम श्रेणी, गोहद

(शिवानी शर्मा)

न्या0मजि0प्रथम श्रेणी, गोहद